260

368

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

1– रामसखी साकेत पत्नी श्री छोटे लाल साकेत उम्र– 54 वर्ष निवासी ग्राम पल्हान थाना बैकुन्ठपुर तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0– निगरानीकर्ता

RS140-II/16

बनाम

1–म0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कं0 लिमि0 जबलपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री (अति उच्चदाब निर्माण) म0प्र0 पावर ट्रान्समिसन कं0लिमि0 सतना म0प्र0

2– शासन म0प्र0 ——— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के द्वारा प्र0क0 12अ–12 /14–15 मे पारित आदेश दिनांक 25–6–15

श्री अजय पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 15-3-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2 – यह कि निगरानी कर्ता ग्राम पल्हान ज0नं0 287 तहसील सिरमौर जिला रीवा स्थित भूमि कमांक 9/3 रकवा .355 हे0 , की भूमि स्वामी व अधिपत्य धारी है । निगरानीकर्ता की उपरोक्त भूमि मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है ।

3– यह कि गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 की भूमि कमांक 8/2 स्थित ग्राम पल्हान मुख्य मार्ग से दूर है तथा मुख्य मार्ग तक पहुचने के लिए विकेता की शेष भूमि से होकर आते जाते है किन्तु निगरानी कर्ता की भूमि कमांक 9/3 पर अतिकमण करना चाहते है इस हेतु बिना कोई औपचारिकता पूरी किए आर0आई0 व पटवारी को अपने प्रभाव मे लेकर झूठा नक्शा तरमीम कराकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05140– II / 2016 जिला–रीवा

रामसखी साकेत / म0प्र0 पवार ट्रांसमिशन

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 12 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	